२०२०/०००१२

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : विवाह अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (नगर) श्रीगंगानगर।

विवाह अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0

विवाह पंजीयन प्रार्थना पत्र सं0 10 / 2020

विवाह पंजीयन प्रार्थना पत्र विशेष विवाह अधिनियम, 1954 बाबत हरीचन्द्र पुत्र श्री रामूराम जाति नायक उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 11, वीपीओ कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं चन्द्रकला पुत्री श्री राजूराम जाति नायक उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 04, चक 3 एन.डी. जिला श्रीगंगानगर।

आदेश दिनांक 04.09.2020

प्रार्थीगण ने सुयंक्त रूप से विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दिनांक 29.08.2019 को प्रार्थना पत्र, धारा 5 आशयित विवाह की सूचना कलर फोटो सहित, धारा 11 के तहत वर एवं वधु द्वारा की गई घोषणा, आयु एवं पहचान के संबंध में दस्तावेजों की फोटो प्रतियां, गवाहान द्वारा विवाह के पक्षकारान को पहचानने का सूचना पत्र, तीन गवाहान के शपथ पत्र एवं आई0 डी प्रूफ प्रस्तुत कर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आपति सूचना का नोटिस जारी करने से पूर्व विवाह पंजीयन की निर्धारित राशि जमा कराये जाने के आदेश दिनांक 04.12.2019 को पारित किये गये जिस पर 30 दिवस का आपत्ति नोटिस जारी किया गया। विवाह के पक्षकारान द्वारा आज दिनांक तक उपस्थित होकर विवाह अनुष्ठापित किये जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के अनुसार प्रार्थना पत्र को तीन कैलण्डर मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

विशेष विवाह अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत तीन कैलण्ड़र माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व्यपगत हो गया है। अतः प्रार्थीगण का विशेष विवाह अधिनियम 1954 का प्रार्थना पत्र दाखिल दफतर किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
विवाह अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर
(नगर), श्रीगंगानगर।